Send mail at 21/6/2018

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल–462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 13220 भोपाल, दिनांक 21-06-2018

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (म.प्र.)

विषय–PMGSY-I, PMGSY-II / III, **उन्नयनीकरण** (UPG) **एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन मार्गों को प्रचलित संधारण अनुबंध के पैकेज** (Within 5 year, Post 5 year एवं Post 10 year) **से पृथक करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।**

विषयांतर्गत लेख है कि PMGSY-1, PMGSY-II, UPG (उन्नयनीकरण) एवं अन्य योजनाओं के मार्गों को वर्तमान प्रचलित संधारण अनुबंध (Within 5 year, Post 5 year, Post 10 year इत्यादि) के पैकेजों से पृथक करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अतः कार्य सुविधा की दृष्टि से मार्गों को संधारण अनुबंध के पैकेजों से पृथक करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

<u>1– PMGSY-II / III के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन मार्ग :–</u>

(i) ऐसे सभी मार्ग जिनका निर्माण PMGSY-II के अंतर्गत स्वीकृत है एवं निर्माण एजेंसी का निर्धारण हो चुका है, वे वर्तमान में प्रचलित संधारण अनुबंध के पैकेजों से PMGSY-II हेतु जारी कार्यादेश दिनांक से पृथक माने जायेंगे। इस हेतु संबंधित महाप्रबंधक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया जायेगा, जिसकी प्रति संधारण अनुबंध के संविदाकार एवं मुख्यालय (ई–मेल gmtdbmprrda@rediffmail.com पर) को दी जायेगी।

(ii) ऐसे मार्ग जिनका निर्माण PMGSY-II / III के अंतर्गत करने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है, ऐसे मार्गों के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी के निर्धारण होने तक वर्तमान प्रचलित संधारण अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत संधारण किया जाएगा, परन्तु उन मार्गों पर रिन्युवल कार्य नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मार्गों पर PMGSY-II /III के अंतर्गत निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी निर्धारित होते ही वे वर्तमान में प्रचलित संधारण पैकेजों से कार्यादेश दिनांक से पृथक माने जाएंगे।

<u>2– उन्नयन/UPG के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्य :–</u>

(i) ऐसे सभी मार्ग जिनके उन्नयनीकरण (UPG) हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण हो चुका है, वे वर्तमान में प्रचलित संधारण अनुबंध के पैकेजों से उन्नयनीकरण (UPG) हेतु जारी कार्यादेश दिनांक से पृथक माना जावे। इस हेतु संबंधित महाप्रबंधक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया जायेगा। जिसकी प्रति संधारण अनुबंध के संविदाकार एवं मुख्यालय (ई–मेल cgmmaint@gmail.com पर) को दी जायेगी।

(ii) ऐसे मार्ग जिनके उन्नयनीकरण (UPG) हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है, ऐसे मार्गों के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी के निर्धारण होने तक वर्तमान प्रचलित संधारण अनुबंध के प्रावधान अन्तर्गत संधारण किया जाएगा, परन्तु उन मार्गों पर रिन्यूवल कार्य नही किया जा

[illegible] 21/6

सकेगा। ऐसे मार्गों पर उन्नयन (UPG) हेतु निर्माण एजेंसी निर्धारित होते ही वे वर्तमान में प्रचलित संधारण पैकेजों से कार्यादेश दिनांक से पृथक माने जाएंगे।

3– म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित मार्गों को अन्य विभाग को हस्तांतरण :–

(i) ऐसे सभी मार्ग जिनके हस्तांतरण का प्रस्ताव अन्य शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों (PWD, MPRDC इत्यादि) हेतु प्राप्त होते है, ऐसे प्रकरणों में मार्गों को हस्तांतरित करने के लिए संबंधित विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई परीक्षण कर स्पष्ट प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरण हेतु अनुमति/निर्णय क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा स्पष्ट लिखित आदेश जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति मुख्यालय में संधारण प्रभाग को (ई–मेल cgmmaint@gmail.com पर) भी दी जाएगी।

(ii) ऐसे सभी मार्ग जिनके हस्तांतरण हेतु क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अनुमति प्रदान कर दी है, वे वर्तमान में प्रचलित संधारण अनुबंध के पैकेजों से संबंधित विभाग द्वारा वास्तविक हस्तांतरण करने के दिनांक से पृथक माने जावेंगे। इस हेतु संबंधित महाप्रबंधक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया जायेगा। जिसकी प्रति संधारण अनुबंध के संविदाकार एवं मुख्यालय (ई–मेल cgmmaint@gmail.com पर) को दी जायेगी।

(iii) ऐसे सभी मार्ग, जिनके हस्तांतरण की स्वीकृति क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा प्रदान कर दी गई है एवं संबंधित विभाग द्वारा अधिग्रहीत करने की कार्यवाही प्रचलन में है, का संधारण वर्तमान प्रचलित संधारण अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत संधारण, संबंधित विभाग द्वारा अधिगृहीत करने के दिनांक तक किया जावेगा, परन्तु मार्गों पर रिन्युवल कार्य नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मार्गों को वर्तमान में प्रचलित संधारण अनुबंध से, संबंधित विभाग द्वारा वास्तविक हस्तांतरण की दिनांक से पृथक माना जायेगा।

4– E-Marg में की जाने वाली कार्यवाही :–

(i) ऐसे मार्ग जो उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण लंबाई में PMGSY-II / III, उन्नयनीकरण (UPG) तथा अन्य विभागों, शासकीय उपक्रमों को हस्तांतरित हो रहे हैं उन्हे E-Marg पर महाप्रबंधक अपने लॉगइन से पृथक करें । इस हेतु E-Marg में प्रावधान पहले ही लागू है ।

(ii) ऐसे मार्ग जो आंशिक लंबाई में PMGSY-II / III, उन्नयनीकरण (UPG) या अन्य विभागों/शासकीय उपक्रमों हेतु हस्तांतरित हो रहे है उन्हें वर्तमान में E-Marg से पृथक नही किया जा सकेगा। ऐसे मार्गो में शेष लंबाई के संधारण भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है।

महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सरल क्र. 1, 2 एवं 3 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विधिवत आदेश जारी करते हुये उसकी प्रति संधारण अनुबंध के संविदाकार को भी प्रेषित करेंगे एवं मार्गों के हस्तांतरण हेतु की गई कार्यवाही की पंजी निर्धारित प्रपत्रों (संलग्न) में इकाई में संधारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 15/07/2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस पंजी को स्पष्ट रूप से अभिधर्यतः अद्यतन रखा जाए।

21/6

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण

पृ0क्रमांक 1322/22/वि–12/ग्रा.स./Maint/M-2/2018 भोपाल, दिनांक– 21 जून, 2018

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2– मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3– प्रबंधक (आई.टी.), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सर्कुलर सेक्शन में डालने हेतु प्रेषित।

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण

जिला ....PIU...................., MPRRDA द्वारा निर्मित मार्गों को अन्य विभागों को हस्तानान्तरित करने का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान प्रचलित पैकेज क्रमांक	निर्मित लंबाई			मार्ग के निर्माण पर किया गया व्यय	वर्तमान में पहुँच मार्ग की श्रेणी प्रगति पर / Within 5 Year/Post 5 Year/ Post 10 Year	वर्तमान संधारण अनुबंध पूर्णता की निर्धारित तिथि	हस्तान्तरण हेतु CGM द्वारा जारी अनुमति क्रमांक / दिनांक	हस्तान्तरण हेतु महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश क्रमांक / दिनांक	हस्तानान्तरित किये जाने वाले विभाग का नाम	हस्तानान्तरित भाग का विवरण				हस्तानान्तरित करने की अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप संबंधित विभाग द्वारा अधिग्रहित करने का पत्र क्रमांक / दिनांक	रिमार्क
			बी.टी.	सी.सी.	कुल लम्बाई							Chainage From ...... To	बी.टी. की कुल लंबाई	सी.सी. की कुल लंबाई	मार्ग की कुल लम्बाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

जिला ....PIU......................, संधारण अंतर्गत मार्गों को PMGSY-II / III हेतु पृथक करने का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान प्रचलित पैकेज क्रमांक	निर्मित लंबाई			मार्ग के निर्माण पर किया गया व्यय	वर्तमान में पहुँच मार्ग की श्रेणी प्रगति पर / Within 5 Year/Post 5 Year/ Post 10 Year	वर्तमान संधारण अनुबंध पूर्णता की निर्धारित तिथि	PMGSY-II / III हेतु प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक / दिनांक	हस्तान्तरण हेतु महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश क्रमांक / दिनांक	हस्तानान्तरित किये जाने वाले विभाग का नाम	हस्तानान्तरित भाग का विवरण				रिमार्क
			बी.टी.	सी.सी.	कुल लम्बाई							Chainage From ...... To	बी.टी. की कुल लंबाई	सी.सी. की कुल लंबाई	मार्ग की कुल लम्बाई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

जिला ....PIU....................., संधारण अंतर्गत मार्गों को UPG हेतु पृथक करने का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान प्रचलित पैकेज क्रमांक	निर्मित लंबाई			मार्ग के निर्माण पर किया गया व्यय	वर्तमान में पहुँच मार्ग की श्रेणी प्रगति पर / Within 5 Year/Post 5 Year/ Post 10 Year	वर्तमान संधारण अनुबंध पूर्णता की निर्धारित तिथि	UPG हेतु प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक / दिनांक	हस्तान्तरण हेतु महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश क्रमांक / दिनांक	हस्तानान्तरित किये जाने वाले विभाग का नाम	हस्तानान्तरित भाग का विवरण				रिमार्क
			बी.टी.	सी.सी.	कुल लम्बाई							Chainage From ...... To	बी.टी. की कुल लंबाई	सी.सी. की कुल लंबाई	मार्ग की कुल लम्बाई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17